

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, बाडमेर

क्रमांक: रापोबा / स्थापना / 2018 /

दिनांक-

--: कार्यालय आदेश :-

भारत सरकार की अधिसूचना महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (नियारण, प्रतिशेष एवं प्रतितो अधिनियम, 2013 की अनुपालना में राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, बाडमेर एवं राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाडमेर के परिसर में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण हेतु वर्ष 2018-19 हेतु निम्नांकित अधिकारीयों की कमेटी गठित की जाती है :-

- 1- डॉ० सन्दीप रांकावत, प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाडमेर - अध्यक्ष
- 2- श्रीमति सरिता कल्ला, प्रवक्ता(केमीकल) राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, बाडमेर - सदस्य
- 3- कु० प्रियंका मीना, प्रवक्ता(केमीकल) राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, बाडमेर - सदस्य

sd

(राजीव कुमार जयसवाल)

प्राचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, बाडमेर  
एवं नोडल अधिकारी, राज० अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाडमेर

दिनांक- 30/5/18

क्रमांक: रापोबा / स्थापना / 2018 / 1284

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- श्रीमान् निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान-जोधपुर।
- ✓ 2- प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाडमेर।
- 3- श्रीमति सरिता कल्ला, प्रवक्ता(केमीकल) राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, बाडमेर- सदस्य
- 4- कु० प्रियंका मीना, प्रवक्ता(केमीकल) राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, बाडमेर- सदस्य

प्राचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, बाडमेर